

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
आदेश

स्पीड पोस्ट

भोपाल, दिनांक 28/03/2020

फा.क्रं 223/21-ब(दो)/2020, राज्य शासन, एतद्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर / ग्वालियर में निम्नानुसार नियुक्त :-
अतिरिक्त महाधिवक्ता :

1. श्री अजय गुप्ता (जबलपुर)
2. श्री रविन्द्र सिंह छाबड़ा (इंदौर)
3. श्री शेखर शर्मा (जबलपुर)
4. श्री राजीव शर्मा (ग्वालियर)

उप महाधिवक्ता :

1. श्री प्रवीण दुबे (जबलपुर)

द्वारा प्रेषित त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करते हुये उन्हें कार्यमुक्त करता है।

आगामी आदेश तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर / ग्वालियर में उक्त कार्यालयों का प्रशासकीय कार्य तथा अन्य विधि अधिकारियों के मध्य कार्य / प्रकरणों का आबंटन वहां नियुक्त वरिष्ठतम विधि अधिकारी द्वारा किया जायेगा। समान वर्ग के विधि अधिकारियों की दशा में उनमें से अधिवक्ता के रूप में सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाले विधि अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रशासकीय कार्य किया जायेगा तथा अन्य विधि अधिकारियों के मध्य कार्य / प्रकरणों का आबंटन किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

Ed

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

पृ0 फा.क्रं. 223/21-ब(दो),
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक-28/03/2020

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
2. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
4. संबंधित विधि पदाधिकारीगण, द्वारा महाधिवक्ता म.प्र. जबलपुर,
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम (टी.एम.), लेखा भवन, झांसी रोड, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
6. उप नियंत्रक शासन, केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स भोपाल की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ,
7. आई.टी. प्रकोष्ठ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28.3.20

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल